न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 154/2012
आरसीएमएस नं. 2012/00063

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. चेतनराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल सा0 सुरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र बहादरराम जाति मेघवाल सा0 सुरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 07.05.2012
द्वारा उपखण्ड अधिकारी उपखंड अधिकारी टिब्बी
प्रकरण संख्या 3/2012 बअनवान प्रार्थना–पत्र चेतनराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल द्वारा क्रय भूमि को नियमन करने के सम्बन्ध में

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री छगनलाल सिडाना अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक – 23.09.2022

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं0 ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 13 सीडीआर के प. नं. 211/267 किला नं. 18–19 की कुल 0.379 है0 भूमि को आवंटी शंकरलाल से जरिये इकरारनामा/बैयनामा खररीद करना बताते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन किया।
2. पत्रावली में यह भी अंकित है कि नियमित किये जाने वाले रकबे पर कोई राशि बकाया होनी नहीं पाई जाति है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

शपथ–पत्र व सिंचाई विभाग की पर्ची के आधार पर क्रेतागण का कब्जा साबित है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई न ही अलॉटी को जरिये नोटिस तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आया। प्रकरण नियमन योग्य होने से समिति के समक्ष रखा गया। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन में नहीं आता है। पत्रावली को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया, जिसके नीची तहसीलदार, सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

6. अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन में तहसीलदार स्वयं के हस्ताक्षर हैं। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है।
7. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।
8. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2064 से 67 चक 13 सीडीआर के प0 नं0 211/267 किला नं. 18–19 की कुल 0.379 है0 भूमि आवंटी शंकर लाल वल्द बहादरराम कौम मेघवाल के नाम बतौर अलॉटी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत आराजी का इकरारनामा बैय मूल आवंटी के शंकरलाल वल्द बहादरराम से किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति में स्वयं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट सं0 1 चेतनराम व रेस्पोडेण्ट सं0 2 के वारीसान चौखाराम आदि के बीच में विक्रय अनुबन्ध दिनांक 17.05.94 की विशिष्ट पालना हेतु वाद पत्र सं0 15/99 रेवन्तराम बनाम चौखाराम आदि पेश हुआ था जिसे अपर जिला न्यायाधीश सं0 2 अनुमानगढ द्वारा दिनांक 23.10.2001 को डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि प्रश्नगत भूमि की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lalo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोई बकाया राशि हो, भूमि सिलिंग सीमा से अधिक हो। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत विपरीत अपीलाण्ट ने अन्य कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षपे किया जा सके।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.05.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

23/9/22

(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)